आज दिनांक 27.09.2016 को रायगढ़ में कलेक्टर महोदया के पत्र कमांक 8265/भू–अर्जन/2016 दिनांक 19.09.2016 के संदर्भ में निर्धारित समयानुसार 2 बजे गठित समाजिक समाघात विशेषज्ञ समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1. श्री सुधीर दाण्डेकर, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर – अध्यक्ष
2. सुश्री विनिता सोनी, यूथ वेलफेयर सोसाईटी रायगढ Vinita Soni 27.9.2016
3. डा. मुकेश गोस्वामी, समाज विज्ञानी जनमित्रम रायगढ़ (एन.जी.ओ.)
4. श्रीमती विमला राठिया, जनपद सदस्य क्षेत्र कमांक 22 गुरदा विकासखंड खरसिया। विमला
5. श्री गजानंद पटेल, उप सरपंचय ग्राम पंचायत रजघटा विकास खंड खरसिया। गजानंद प्रसाद
6. श्री एस.पी. दिक्षित, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर।
7. श्री हरीलाल, सेवा निवृत्त, कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण,पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर।

दिनांक : 30.09.2016

प्रति,

कलेक्टर
रायगढ़, जिला – रायगढ़

विषय :– विशेषज्ञ समूह द्वारा समाजिक समाघात का अंकन।

कलेक्टर महोदया के पत्र क्रमांक 8265/भू–अर्जन/2016 दिनांक 19.09.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) खरसिया के पत्र क्रमांक/भू–अर्जन/2016/1172 दिनांक 21.09.2016 के अनुक्रम में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 27.09.2016 को बैठक आयोजित कर समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन (Appraisal) किया गया ।

अंकन मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर आधारित था :–

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता हैं।

(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या क़ा प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है।

(ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है।

(घ) इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है।

(ड़) इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है।

(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन।

(क). इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है ?

इस संबंध में समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । रिपोर्ट में यह प्रतिवेदित है कि प्रस्तातिव अधिग्रहण उद्योग विभाग द्वारा 1200 मेगावाट पावर प्लांट के लिये जो कि बाड़ादरहा जिला जांजगीर चांपा में पूर्व से ही स्थापित है एवं विद्युत उत्पादन कर रहे प्लांट हेतु कोयला परिवहन के लिये ग्राम बड़ादरहा से रॉबर्टसन तक 13 कि मी. रेल लाईन बिछाई जाने हेतु यह अधिग्रहण प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि कम्पनी के उपयोग के लिये ग्राम बाड़ादरहा से ग्राम बेन्दोझरिया तक 9 कि.मी. तक का भू–अर्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में बढ़ते औद्योगिक निवेश बढ़ती जनसंख्या और विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत उत्पादन प्रदेश और देश के व्यापक हित में है और स्पष्ट ही लोक प्रयोजन के उपयोगी उद्योगो की श्रेणी में आता है। स्पष्ट है कि यदि इस 4.275 कि. मी. को पूर्ण नही किया गया तो कोयले का परिवहन बाधित होगा और पूर्व में किया गया अधिग्रहण निर्थक होगा जो क्षति दायक होगा।

ख. प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है ?

इस प्रस्तावित अधिग्रहण से ना तो कोई माकान टूट रहे है और ना किसी वासस्थान पर विपरीत प्रभावत पड़ रहा है अतः वासस्थानों से वांछित होने वालों की संख्या शून्य है।

यह प्रस्तावित अधिग्रहण रेखीय (Liner) स्वरूप का है । अतः यद्यपि इसमें प्रभावित कुटुम्बों की संख्या अधिक होती है परन्तु अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कम होता है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जहॉ एक ओर प्रभावित खातेदारों की संख्या 61 है वहॉ अर्जित किये जाने वाला रकबा 45.85 एकड़ है। अर्थात प्रति खाते का औसत एक एकड़ से भी कम है समूह द्वारा प्रभावितों की सूची का अवलोकन किया गया। सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कोई भी खातेदार भू–अर्जन के पश्चात निरंक भूमि वाला नही रह जायेगा। स्पष्ट है कि प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी भूमि विस्थापित का सम्पूर्ण भूमि नही जायेगी और ना ही अजीविका का साधन ।

ग. ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है ?

प्रस्तावित भू–अर्जन नही किया जा रहा है। प्रभावित होने वाले खातेदारों की सूची और विवरण का अवलोकन किया गया जो संलग्न है। अर्जन से पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कंठिका ख में किया जा चुका है।

घ. इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है ?

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन एवं समाजिक समाघात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह समूह इस बात से संतुष्ट है कि भूमि कि जितनी आवश्यकता है उतने का ही अधिग्रहण किया जा रहा है एवं न्यूनतम दूरी का ध्यान रखा गया हैं इस संबंध में परियोजना से संबंधित तकनीकि विशेषज्ञ की राय पृथक से संलग्न है।

ड़. इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है ?

यह एक रेखीय (Liner) प्रोजेक्ट है एवं न्यूनतम दूरी का प्रस्ताव किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न ही नही उठता क्योंकि ऐसा करने पर अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में अनावश्यक वृद्धि ही होगी।

च. परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन ?

इस प्रस्तावित अधिग्रहण से शासकीय परिसम्पत्तियों को या सार्वजनिक स्थलों को कोई नकुसान नही हो रहा है। अतः इसमें पुनः निर्माण आदि पर खर्च होने का कोई प्रश्न ही नही उठता, केवल निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। जिसके लिये अधिनियम में प्रस्तावित निर्धारित मुआवजा एवं पुनर्वास नीति का अनुसरण किया जाना होगा। जिसमें अंकन अथवा मत देना विशेषज्ञ समूह के कार्यक्षेत्र में नही है।

विशेषज्ञ समूह द्वारा पूर्व में गठित समूह के प्रतिवेदन अवलोकन किया और यह पाया कि अधिनियम में प्रवधानित जनसुनवाई की गई थी । कुल खातेदार 61 में 55 लोगो ने अपनी सहमति दी है इसकी पुष्टि विशेषज्ञ समूह के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया द्वारा भी की गई है।

चूकि यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित है । अतः P.E.S.A. के अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन करना अनिवार्य है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि ग्राम सभा कि बैठक आयोजित की जा कर प्रस्तावित भू–अर्जन के पक्ष में ग्राम सभा ने अपना मत व्यक्त किया है।

उपरोक्त वर्णित विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ समूह कि यह राय है कि :–

A. रेल लाईन बिछाने कि इस परियोजना से पावर प्लांट को कोयले के परिवहन कि सुविधा प्राप्त होगी जिससे विद्युत उत्पादन के लोक प्रयोजन की पूर्ति होगी।

B. सम्भाव फायदे समाजिक खर्च और प्रतिकूल समाजिक समाघातों कि तुलना में बहुत अधिक है।

C. प्रस्तावित अधिग्रहण यथार्थ न्यूनतम सीमा में है और इससे कम प्रभावित (विस्थापन कोई नही है) किये जाने सम्बन्धी कोई विकल्प उपलब्ध नही है ।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए विशेषज्ञ समूह द्वारा भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :–

1. प्रभाविक कृषको की सूची।
2. रेल्वे विशेषज्ञ की रिपोर्ट।
3.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
खरसिया (छ.ग.)

संयोजक
दुर्गेश वर्मा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया

श्री सुधीर दाण्डेकर,
अध्यक्ष, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर

श्री एस.पी. दिक्षित,
सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर

श्री हरीलाल, सेवा निवृत्त,
कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
दक्षिण,पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर

President
Youth Welfare Society Raigarh

सुश्री विनिता सोनी,
यूथ वेलफेयर सोसाईटी रायगढ

Secretary
Janmitram Kalyan Samiti
RAIGARH (C. G.)

डा. मुकेश गोस्वामी,
समाज विज्ञानी जनमित्रम रायगढ (एन.जी.ओ.)

श्रीमती विमला राठिया
जनपद सदस्य
क्षेत्र क्रमांक 22

श्रीमती विमला राठिया
जनपद सदस्य क्षेत्र कमांक 22 गुरदा
विकासखंड खरसिया।

श्री गजानंद पटेल
उप सरपंचय ग्राम पंचायत रजघटा
विकास खंड खरसिया।

दिनांक 28/9/16

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सन्दर्भ :- पत्र क्रमांक /भू. अर्जन/2016/1172 खरसिया दिनांक 21/09/2016

विषय :- कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ छ.ग. के पत्र क्रमांक 8465/भू.अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 19/09/2016 के परिपालन मे गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवम् सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना ग्राम कुनकुनी के मूल्याकन हेतु।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 27/9/2016 को भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अन्तर्गत बैठक आयोजित कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन किया गया अंकन मुख्यतया सात बिंदुओ पर आधारित था हमारे पद के आधार पर यह है कि प्रस्तावित भूमि का अर्जन परियोजना के लिए प्रर्याप्त न्यूनतम आवश्यकता की सीमा के अन्दर तक सीमित है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन एवम् रेल विभाग द्वारा प्रमाणित मानचित्र का गहनता से अध्ययन किया जिसमें यह पाया गया कि परियोजना के लिए कुनकुनी ग्राम की 45.87 एकड़ भूमि प्रस्तावित है जिसमें लगभग 4.2 किमी. लम्बा ट्रैक प्रस्तावित है। भूमि का अर्जन रेलवे की आवश्यकता के आधार पर किया गया है।

अतः यह पुनः प्रमाणित किया जाता है कि भू अर्जन रेलवे ट्रैक की आवश्यकतानुसार ही है।

(हस्ताक्षर) 28/9/16
हरीलाल रिटायर्ड कार्यपालन
अभियंता, बिलासपुर
निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे